प्रपत्र – 5

मूल वद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु., टोंक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. सूरज सिंह नेगी, R.A.S.

उनवान

जशी देवी बनाम मखालाल व अन्य

दावा बाबत इकरारनामा, इकरारनामा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 302/2012 मुकदमे का प्रकार :- दावा

निर्णय दिनांक :- 13/05/2017

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मखालाल, कमीश नल

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13/5/017 को SDO टोंक (नाम पीठासीन अधिकारी) डॉ. सूरज सिंह नेगी, R.A.S. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादिया जशी देवी पुत्री रधोकरण मीणा नि० कबीरपुरा का वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम सोलतपुरा नि प्रतिवादी मख के साथ साथ 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, टोंक सयाल रिकार्ड फसलवार संख्या 2008-09 ग्राम सोलतपुरा पर हीरनगर का खाता सं० 02 के प्रतिवादीगण के संयुक्त 1/4 हिस्से दावे मांगे हर रिकार्ड में दुरुस्त कर पालक मीणा का ग्राम 1/4 हिस्से दावे मांगे हर रिकार्ड में दुरुस्त कर पालक से मुकमल करावें।

खर्चा पक्षकारान्त अपना – अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13/05/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टोंक

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदेशों के लिए स्टाम्प 4. .....रुपये प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 6. कमीश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	NIL	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीड की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमीश्नर की फीस	NIL
जोड़े		जोड़े	

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)
पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner